नोटिस बैनर | सीबीएसई : 15 मई से शुरू होगी 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा, शेड्यूल जारी | बीसीइसीइ : 30 व 31 मई को होगी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा | prabhatkhabar.com

मदार नदी पर पुल नहीं, भैयाराम बिगहा व प्राणपुर के ग्रामीणों को दिक्कत

बरसात में गांव का संपर्क टूटता है, इलाज और पढ़ाई सबसे बड़ी चुनौती

प्रतिनिधि, मटनपुर

पुल को लेकर प्रदर्शन करते ग्रामीण.

इसी रास्ते से नदी पार कर जाते हैं ग्रामीण.

मटनपुर प्रखंड की महुआवा पंचायत के भैयाराम बिगहा और प्राणपुर के बीच बहने वाली मदार नदी पर पुल निर्माण की मांग वर्षों से अधूरी है. पुल की आस में ग्रामीणों की आंखें पथरा गयी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि दर्जनों गांवों के लोगों को नदी पार कर आवागमन करना पड़ता है, लेकिन अब तक सरकार या जनप्रतिनिधियों की नजर इस समस्या पर नहीं पहुंची है. ग्रामीणों ने बताया कि हर चुनाव में नेता पुल निर्माण का वादा कर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद समस्या जस की तस रह जाती है. पुल नहीं रहने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने और सर्वांगीण विकास के बड़े-बड़े दावे यहां खोखले साबित हो रहे हैं. भैयाराम बिगहा, प्राणपुर और गोगड़ी गांव आज भी पुल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं. ग्रामीणों ने बताया कि आवागमन की सुविधा नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. यहां तक कि पढ़े-लिखे परिवार अपने बेटे-बेटियों को शादी इस गांव में करने से कतराते हैं. रिश्ते तय होने के बाद भी लोग मौसम देखकर शादी करने को मजबूर होते हैं. बरसात के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है. कई के बीमार पड़ने पर इलाज कराना मुश्किल हो जाता है. लोगों को करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर मटनपुर प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है. कई बार ग्रामीण मजदूरी में झोलाछाप चिकित्सकों से इलाज कराते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गंभीर स्थिति में मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ना पड़ता है. नदी के उत्तरी छोर पर प्राणपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन बरसात में नदी पर नहीं कर पाने के कारण लोग वहां भी इलाज के लिए नहीं पहुंच पाते हैं. ग्रामीणों के अनुसार हर साल बरसात के मौसम में इलाज के अभाव में एक-दो लोगों की मौत हो जाती है. ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदार नदी पर जल्द पुल निर्माण कराने की मांग की है.

नीरज कुमार ने कहा कि मदार नदी पर पुल नहीं बनने से अब सब कुछ बेकार लग रहा है. दूसरे गांव में जाने के लिए सड़क, बिजली, पीने की पानी का नल देखते हैं तो लगता है कि उसके गांव में सब कुछ होता.

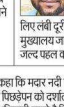
विनोद कुमार ने कहा कि मदार नदी में पुल नहीं रहने से बीमार लोगों को खटिया पर ढोर कर प्राणपुर उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं. इस दौरान समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से अधिक परेशानी होती है.

बिट्टू कुमार ने कहा कि सरकार देश के कोने-कोने में पुल-पुलिया बना रही है और हमारा गांव वंचित है. हम लोग वर्षों से पुल बनने के इंतजार में हैं. अब लगता है कि हमारी जिंदगी बिना पुल देखे ही गुजर जायेगी.

गौरव कुमार ने कहा कि पुल नहीं रहने से गांव के लोगों को प्राणपुर उपस्वास्थ्य केंद्र या रफान छुड़ाने के लिए बरसात में परेशानी होती है. सरकार को चाहिए कि तत्काल पहल करते हुए पुल निर्माण कराएं.

नंदू कुमार ने कहा कि पुल नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है. सामान खरीदने के लिए लंबी दूरी तय कर मटनपुर प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है. सरकार को जल्द पहल करना चाहिए.

मनीष कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक मदार नदी पर पुल नहीं बना. स्थानीय नेता समस्या सुनते और देखने आते हैं. पुल बनाने का वादा और दावा करते जाते हैं, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं करते है.

सुदर्शन कुमार ने कहा कि मदार नदी पर पुल नहीं नहीं होना पिछड़ेपन को दर्शाता है. सरकार व उसके अधिकारी चाहते है कि हम पुरानी स्थिति में ही रहे. ग्रामीण अपने हाल में है. सरकार ध्यान भी नहीं देना चाहती.

संगीता कुमारी ने कहा कि गांव की सबसे बड़ी समस्या पुल की है. वर्षों से उम्मीद के साथ इंतजार में है. शायद किसी नेता की नजर पड़ जाये और गांव का कल्याण हो जाये. कम से कम नदी पर पुल बनाया जाये.

102 एंबुलेंस कर्मियों ने वेतन कटौती व अवकाश नहीं मिलने पर सौंपा ज्ञापन

विरोध जताते एंबुलेंस कर्मी.

प्रतिनिधि, औरंगाबाद नगर.

जिले में संचालित डायल 102 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने वेतन कटौती, साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने और पीएफ-ईएसआई राशि जमा करने में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बुधवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा. यह ज्ञापन बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ (इंटक) की 102 एंबुलेंस कर्मचारी शाखा की ओर से दिया गया. कर्मचारियों ने बताया कि जिले में डायल 102 एंबुलेंस सेवा का संचालन जैन फ्लस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीपी मोड में किया जा रहा है. संस्था के अधीन करीब 100 चालक और 100 ईएमटी कार्यरत हैं. कर्मियों का आरोप है कि पिछले चार महीनों से वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है. कर्मचारियों ने बताया कि छह माह को वेतन भुगतान किया गया, लेकिन कई कर्मियों के वेतन से अनियमित रूप से कटौती कर दी गई. इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है. ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारियों से प्रतिदिन 24 घंटे तक सेवा ली जाती है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता. लगातार ड्यूटी के कारण कर्मियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ता जा रहा है. इसके बावजूद आंतरिक समय तक काम कराने पर ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है. कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पीएफ और ईएसआई की राशि नियमित रूप से जमा नहीं की जा रही है, जिससे भविष्य की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंता बनी हुई है. कई बार संस्था के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया. कर्मियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि काटी गई वेतन राशि वापस दिलाई जाये, लंबित भुगतान शीघ्र कराया जाये और प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाये. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे. ज्ञापन की प्रतिलिपि सिविल सर्जन और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को भी भेजीगईहै.

क्विज, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कैडेट्स ने दिखाया उत्साह

कैंप में कैडेट्स को मिला आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण

- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को किया गया सम्मानित

प्रतिनिधि, औरंगाबाद कार्यालय.

सब्बिदानंद सिन्हा कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करती सब इंस्पेक्टर.

शहर स्थित सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज परिसर में चल रहे 13 बिहार बटालियन एनसीसी औरंगाबाद के सीएटीसी-3 कैंप के नौवें दिन गुरुवार को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया. 29 अप्रैल से आठ मई तक आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है. दिन की शुरुआत सुबह पीटी सत्र से हुई, जिसमें सभी एनसीसी कैडेट्स को सेल्फ हिफेंस के तहत जूडो और कराटे का प्रशिक्षण दिया गया. इसके बाद पीआई स्टाफ द्वारा ड्रिल प्रतियोगिता आयोजित कर बेस्ट कैडेट का चयन किया गया. वहीं, एएनओ सचिवानंद कुमार और अक्षय जैन के नेतृत्व में चयनित कैडेट्स के बीच क्विज प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कैंप के दौरान नगर थाना साइबर शाखा की सब इंस्पेक्टर मधु कुमारी ने कैडेट्स को साइबर सुरक्षा विषय पर विशेष जानकारी दी. उन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया सुरक्षा, फेक लिंक, ओटीपी धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों से बचाव के तरीकों की विस्तार से जानकारी दी. साथ ही इंटरनेट का उपयोग करते समय सतर्क रहने की सलाह भी दी. इसके बाद कैंप कमांडेंट कर्नल प्रदीप कुमार तक्षक के नेतृत्व में समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कैडेट्स ने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और विभिन्न प्रतियोगिताओं का अनुभव प्राप्त किया है.

यह अनुभव भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं और एनसीसी के ए, बी एवं सी सर्टिफिकेट परीक्षा में काफी मददगार साबित होगा. उन्होंने बताया कि कैंप के दौरान आयोजित ड्रिल, खेलकूद, कार्यशाला, क्विज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया गया. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी कैडेट्स शुक्रवार को अपने-अपने घर के लिए रवाना होंगे और उन्हें कैंप सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जायेगा. संध्या में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैडेट्स ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर बिहार की समृद्ध संस्कृति की झलक पेश की. कार्यक्रम में 13 बिहार बटालियन एनसीसी के सभी एएनओ, पीआई स्टाफ और सिविल स्टाफ मौजूद रहे.

फरियादियों के साथ बेहतर व्यवहार पर दें विशेष जोर

समीक्षा करते एसपी अंबरीश राहुल.

- लंबित कांडों की समीक्षा कर एसपी ने दिये त्वरित निबटारे के निर्देश

प्रतिनिधि, दाउदनगर.

औरंगाबाद पुलिस प्रशासन ने स्मार्ट पुलिसिंग और बेहतर कानून-व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है. इसी कड़ी में एसपी अंबरीश राहुल ने दाउदनगर अंचल के थानों में लंबित कांडों की व्यापक समीक्षा की. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित यह विशेष समीक्षा बैठक बुधवार को दाउदनगर थाना परिसर में हुई, जो देर रात तक चली. समीक्षा के दौरान एसपी ने लंबित मामलों के शीघ्र निबटारा, अनुसंधान की गति तेज करने और अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिये. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम जनता को त्वरित न्याय और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अनुसंधान कार्य में लापरवाही या अनावश्यक विलंब किसी भी रूप पर स्वीकार नहीं किया जायेगा. दाउदनगर थाना के निरीक्षण के बाद एसपी अंबरीश राहुल ने इस थाना को विशेष निगरानी के तहत गोद लिया है. इसका उद्देश्य थाना स्तर पर पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है. एसपी ने औरंगाबाद पुलिस को निर्देश दिया कि प्रत्येक लंबित मामले की नियमित मॉनीटरिंग की जाये और गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. समीक्षा के दौरान विभिन्न थानों में दर्ज मामलों की प्रगति, अनुसंधान की स्थिति, गिरफ्तारी अभियान तथा वारंट निबटारा की भी विस्तार से समीक्षा की गयी. मौके पर दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास, पुलिस इंस्पेक्टर जीतेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे. एसपी ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मूख्य उद्देश्य जनता के बीच विश्वास कायम करना और पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी बनाना है. उन्होंने अधिकारियों को फरियादियों के साथ बेहतर व्यवहार करने तथा शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

व्यावसायिक प्रकोष्ठ के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रामजीत यादव का निधन

ओबरा. अतरौली–लोकन बिगहा निवासी एवं व्यावसायिक प्रकोष्ठ के पूर्व जिला उपाध्यक्ष 80 वर्षीय रामजीत यादव का बुधवार की रात निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि पुत्र रामाशंकर यादव ने दी. निधन पर शिक्षक नेता अजीत कुमार, प्री सर्वेज़ नारायण सिंह, सुनील यादव, जितेंद्र कुमार, मनोज गुप्ता, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, रंजीत कुमार, डॉ कुमार अजिंथ, परीक्षा यादव, गुडल कुमार, दीपक कुमार उर्फ बंटी, विजेंद्र यादव, मिथिलेश शर्मा, राजकुमार सिंह, बैजनाथ सिंह, रामजी साव, ब्रीनियास गुप्ता, हरि नारायण यादव, सीताराम यादव, रामनरायण यादव, प्रमोद यादव, मदन प्रसाद, अशोक कुमार, शिक्षक राजेंद्र कुमार सिंह, विद्यानंद यादव, जय किशोर कुमार, मुकुल गुप्ता, कुमार रंजितेष, देवनंदन यादव, अभिषेक जनेश्वर यादव, रामजन्म यादव, पंचायत के सरपंच राजश्री शर्मा आदि संवेदना व्यक्त की है.

कोर्ट नोटिस

न्यायालय में,
श्रीमती करिश्मा कुमारी न्यायवादी महोदया
अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय दाउदनगर, औरंगाबाद (बिहार)

Execution case no. 02/25

मालती देवी--------डिक्री शीलदा/वादीनी
बनाम
शशीभूषण सिंह वगैरह- ----------जजमेंट देटर/प्रतिवादीगण

बजरिये गजट प्रकाशन के माध्यम से आगाह किया जाता है कि आपलोग 2. शाल्मि देवी पति शशिभूषण सिंह प्रतिवादिन (2) नीचे कुमारी 2ए . रीता कुमारी 2बी. बचन कुमारी 2सी. मुन्नीलाल कुमार सभी पिता शशिभूषण सिंह माता शशिन देवी सभी साकिन अन्या थाना दाउदनगर जिला-औरंगाबाद राज्य-बिहार उक्त वाद में प्रतिवादिगण हैं आपलोगो के विरूद्ध सम्मन भेजा गया लेकिन आपलोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुएहैं.
अतः आपलोग दिनांक 20.05.2026 को समय 10.30 बजे सुबह अपने स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर उचित पैरवी करें. अन्यथा आपलोगो के विरूद्ध वाद में एकपक्षीय सुनवाई की जायेगी इसे सकिंद जानें.
आज दिनांक 02.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के साथ जारी किया जाता है.

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय
दाउदनगर, औरंगाबाद (बिहार)

सहयोग शिविर की तैयारी का डीडीसी ने लिया जायजा

प्रतिनिधि, बारुण.

चयनित लाभुक से बात करते डीडीसी व अन्य.

आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है. इसी क्रम में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह ने बारुण प्रखंड के पंचायत सरकार भवन, धमनी पहुंचकर 19 मई को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया. बीडीओ नीरज कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने शिविर के लिए प्राप्त आवेदनों की स्थिति, उनके निबटारे की प्रगति और पूर्व तैयारियों का गहन अवलोकन किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर तिथि से पहले सभी आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. विशेष रूप से राजस्व और न्यायालय से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया. बताया गया कि मुख्य सचिव, बिहार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किया जायेगा. इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर आम नागरिकों की शिकायतों का पंजीकरण और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है. प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर पर शिविर से कम-से-कम 30 दिन पूर्व आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है. वहीं, जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग शिविर का लाभ उठा सकें. मिली जानकारी के अनुसार 19 मई को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर के लिए लिये के विभिन्न प्रखंडों की चयनित पंचायतों का रोस्टर भी तैयार कर लिया गया है. प्रशासन ने इसे स्थानीय स्तर पर पारदर्शी व समयबद्ध समस्या समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है.

शहर में जाम और यातायात सुधार के लिए डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण

औरंगाबाद नगर. शहर में लगातार बढ़ रही जाम व अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए गुरुवार को डीएम अभिलाषा शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल ने संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया. इस दौरान पुरानी जीटी रोड, एमजी रोड, रामबाबेर बस स्टैंड, जसोइया मोड़, ओबरब्रिज क्षेत्र समेत अन्य प्रमुख स्थानों का जायजा लिया. अधिकारियों ने जाम, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, भारी वाहनों की अनियमित आवाजाही व सर्विस लेन के दुरुपयोग की स्थिति का विस्तृत आकलन किया. निरीक्षण में एमजी रोड व ओबरब्रिज क्षेत्र में बहु-दिशात्मक यातायात तथा भारी वाहनों के अनियंत्रित परिचालन के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है. वहीं, रामबाबेर स्टैंड के पास बसों और भारी वाहनों के अवैध पड़ाव से आम लोगों को परेशानी हो रही है. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बस स्टैंड के बाहर अनधिकृत रूप से वाहन खड़ा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाये. साथ ही एनएचएआई के माध्यम से ओवरब्रिज के उत्तरी सर्विस लेन के पास नालों को ढककर सड़क चौड़ीकरण कराने का निर्देश दिया गया. डीएम ने रमेश चौक, अंडरपास और नवाडीह मोड़ पर ट्रैफिक पोस्ट और पिक बूथ निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही ओल्ड जीटी रोड स्थित सब्जी मंडी को फार्म क्षेत्र तथा फल मंडी को न्यू जेल के पास स्थानांतरित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने को कहा गया. डीएम ने कहा कि शहर में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था प्रशासन की प्राथमिकता है. आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे.

पंजाब नैशनल बैंक | punjab national bank (the name you can BANK upon !)
सम्पत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के तहत चल संपत्ति बिक्रीय सूचनाबिक्री के प्रतिभूतिकृत हुई सुनिश्चित हुई अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा सामान्य रूप से एवं विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नीचे लिखा जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका एक्सप्रोप्रियेशन/भौतिक/सांकेतिक कब्जा उसके द्वारा ले लिया है. बैंक के प्रतिभूत आस्तियों/सुरक्षित ऋणदाता को अपने कब्जाधीन की संपत्ति के लिए नीचे दी गई तारीख में ऑनलाइन बिक्रि पर "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, अग्रिम सूचना और बकाया राशि उपर नीचे दी गई तारीख में सम्पत्ति सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9 (1) का प्रावधान देखें](सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/सांकेतिक का नाम (संपत्ति की जिसकी रक्षने वाली)	(क) वास्तविकी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) वास्तविकी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	(क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) (ख) ईएमडी (ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सूचित लेनदारों को ज्ञात ऋणदारों का विवरण
1	पीपलबी-करगहर(235300) मेसर्स सृष्टि मिनी राइस मिल प्रोप - श्रीमती राजकुमारी देवी पति श्री संजय राय श्री राजबीर राय पिता श्री संजय राय श्री मनोज कुमार राय पिता श्री राजबीर राय श्री जैन नारायण राय पिता श्री राजबीर राय श्री संजय कुमार राय पिता श्री राजबीर राय श्रीमती राजकुमारी देवी पति श्री संजय राय सभी द्वारा राघेपुर पोस्ट + थाना -करगहर जिला-रोहतास बिहार, पिन-821107 के निवासी हैं	अचल संपत्ति स्थित- मौजा-राघेपुर, हल्का संख्या- 7, थाना- करगहर, जिला- रोहतास, बिहार, खाता संख्या- 27, प्लॉट संख्या- 129, रकबा- 10 डिसमिल, पीडब्ल संख्या- 12920 दिनांक 04/11/20101 मालिक/बंधककर्ता- श्रीमती राजकुमारी देवी पति श्री संजय राय **चौहद्दी** :उत्तर- हाल हाउिरान, दक्षिण- राजबीर राय, पूर्व- राजबीर राय, पश्चिम- हाल्कर	(क) 11.02.2022 (ख) रू. 33,07,305.41 + अतिरिक्त ब्याज (ग) 05.09.2025 (घ) सांकेतिक	(क) रू.38,00,000/- (ख) रू.3,80,000/- (ग) रू. 50,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से एवं 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां अचल आस्तियों में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्रतिभूत अधिकारी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्रतिभूत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधिकारपत्रों द्वारा बेचकर https://baanknet.com या उदाहरण हेतु-सेमाही पोर्टलों के माध्यम से 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्रतिभूत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, नीलामी को स्थगित या रद्द करने, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को संशोधित/या/समाप्त/बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | बैंकवार की तिथि में अंकेती पात्र जारण होगा | प्राधिकृत अधिकारी

आत्मरक्षा के साथ साइबर सुरक्षा की ली जानकारी

- महिला कॉलेज मुड़िला अंबा में अभया ब्रिगेड कार्यक्रम के तहत छात्राओं को छेड़खानी, साइबर अपराध व ऑनलाइन ठगी से बचाव को लेकर किया जागरूक

प्रतिनिधि, कुटुंबा.

छात्राओं को जानकारी देती अभया ब्रिगेड की टीम.

महिला कॉलेज मुड़िला अंबा में अभया ब्रिगेड कार्यक्रम के तहत छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गयी. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सुरक्षित बनाना था. कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पुलिस की इस पहल की सराहना की. कार्यक्रम में कुटुंबा थाना की महिला दरोगा अंजलि कुमारी और कुमारी श्वेता वर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की छेड़खानी, उत्पीड़न या असामाजिक गतिविधियों से डरने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. महिला पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को आत्मरक्षा के कई व्यावहारिक उपाय भी बताये. उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास ही महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है. कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को लेकर भी छात्राओं को जागरूक किया गया. अधिकारियों ने सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, फर्जी लिंक और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी. साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस हमेशा महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है. अधिकारियों ने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और बिना किसी भय के शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि माता-पिता और गुरु से अधिक भरोसेमंद कोई नहीं होता, इसलिए जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए. छात्राओं को यह भी सलाह दी गई कि यदि कोई मनचला परेशान करने या गलत हरकत करने का प्रयास करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, साथ ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना मोबाइल नंबर साझा नहीं करने की हिदायत दी गई. इस अवसर पर महिला पुलिस पदाधिकारियों ने छात्राओं के बीच अपना मोबाइल नंबर भी साझा किया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में छात्राएं सीधे संपर्क कर सके. कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य दिनेश कुमार सिंह, प्रोफेसर सविता सिंह, प्रो वृंदा कुमारी, प्रधान सहायक किरण कुमारी और प्रभा कुमारी सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं.